स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर केन्द्रीय पूल

क्रमांकःएफ. /पूल/एसकेआरएयू/खुलीनिविदा/2021/1880

निविदा सं. 01/2021

वर्ष 2021–2022 के लिए स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर स्थित कार्यालयों के लिए आवश्यकतानुसार (मुख्यालय से बाहर जाने व स्थानीय कार्य हेतु) यात्री वाहन (Taxi) ए.सी. व नोन ए.सी. वाहन किराए पर लेने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं:-

निविदा क्रय करने की दिनांक	निविदा जमा कराने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	निविदा फार्म क्रय करने की राशि	धरोहर रशि
दिनांक 16.04.2021 दोपहर 12.00 बजे तक	दिनांक 16.04.2021 दोपहर 1.00 बजे तक	दिनांक 16.04.2021 दोपहर 2.00 बजे तक	500 ∕ −र्ज.	30,000 ∕ −₹ज.

नोटः- निविदा संबंधी विस्तृत शर्ते विश्वविद्यालय की वेब साईट www.raubikaner.org एवं sppp.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

पूल अधिकारी

दिनांक: 30.03.2021

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयए बीकानेर केन्द्रीय पूल

निविदा क्य करने की अंतिम तिथि 16.04.2021 को दोपहर 12.00 बजे तक व निविदा जमा कराने की तिथि 16.04.2021 को दोपहर 1.00 बजे तक और निविदा खोलने कि तिथि 16.04.2021 दोपहर 2.00 बजे केन्द्रीय पूल, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में रखी गई है :-

1. आवश्यकतानुसार बीकानेर से बाहर जाने हेतु निम्न वाहन किराए पर लिये जायेंगे:--

जं सं	वाहन किस्म	दर प्रति किलोमीटर			
क्रं.सं.		ए.सी. वाहन	नोन ए.सी. वाहन		
1.	स्वीफट डीजायर				
2.	जायलो				
3.	त्वेरा				
4.	ईनोवा				
5.	बुलेरो				
6.	स्कॉपियो				
7.	बस (52 सीटर)				
	बस (42 सीटर)				
	बस (35 सीटर)				
8.	मिनी बस (25 सीटर)				

2. आवश्यकतानुसार बीकानेर में स्थानीय कार्य हेतु निम्न वाहन किराए पर लिये जायेंगे:--

क्रं.सं.	वाहन किस्म	प्रतिदिन 100 कि.मी. तक चलने पर राशि (एकमुश्त) ए.सी. वाहन	प्रतिदिन 100 कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. दर ए.सी. वाहन	प्रतिदिन 100 कि.मी. तक चलने पर राशि (एकमुश्त) नोन ए.सी. वाहन	प्रतिदिन 100 कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. दर नोन ए.सी. वाहन
1.	स्वीफट डीजायर	ए.सा. पाहन	ए.सा. वाहन	नान ए.सा. पाहन	नान ए.सा. वाहन
2.	जायलो				
3.	त्वेरा				
4.	ईनोवा				
5.	बुलेरो				
6.	स्कॉपियो				
7.	बस (52 सीटर)				
	बस (42 सीटर)				
	बस (32 सीटर)				
8.	मिनी बस (25 सीटर)				

शर्ते:-

- 1. वाहन के रजिस्ट्रेशन/बीमा आदि के कागजात पूर्ण होने चाहिये
- 2. अन्य वाहन जो फर्म के नाम से पंजीकृत नहीं हैं उनके साथ फर्म द्वारा किया गये एग्रीमेण्ट की प्रति टैण्डर फार्म के साथ संलग्न करें।
- वाहन चालक के पास लाईसेंस होना व साक्षर होना चाहिये वाहन चालक जो वाहन लेकर आ रहा है उसके लाईसेंस की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी उसके बाद उसको यात्रा प्रारम्भ हेतु भेजा जायेगा।
- 4. वाहन वर्ष 2018 से पुराना नहीं होना चाहिये।
- 5. विश्वविद्यालय द्वारा बीकानेर से बाहर जाने हेतु प्रयोग में लिये गये वाहन का भुगतान यात्रा के कुल दिनों को न्यूनतम कि.मी. प्रतिदिन की दूरी से गुणा करके या यात्रा के दौरान कुल तय की गई दूरी में से जो भी ज्यादा होगा के अनुरूप भुगतान किया जायेगा।
 - अ) वाहन 300 कि.मी. से कम चलने पर न्युनतम 300 कि.मी. का भुगतान किया जायेगा।
 - ब) दिन की गणना वाहन उपयोग लेने वाले अधिकारी के पास वाहन पहुँचने की दिनांक व यात्रा पूर्ण कर अधिकारी द्वारा वाहन को छोड़ने की दिनांक से की जायेगी।

- (क) यदि वाहन संबन्धित अधिकारी के पास दिनांक 5.4.2021 को पहुँचता है तथा अधिकारी यात्रा पूर्ण कर दिनांक 6.4.2021 को वाहन छोड़ता है तो दो दिन गिने जायेंगे (प्रतिदिन 300 कि.मी. के अनुसार)
- उपरोक्त (क) में यदि वाहन 605 कि.मी. उपयोग में लिया जाता है तो उसे 605 कि.मी. का भुगतान किया जायेगा चाहे दिनांक 5.4.2021 को वाहन 405 कि.मी. उपयोग किया गया तथा दिनांक 6.4.2021 को 200 कि.मी. का उपयोग किया गया हो।(प्रतिदिन 300 कि.मी. के अनुसार)
- उपरोक्त (क) में यदि वाहन 575 कि.मी. उपयोग लिया जाता है उसे 600 कि.मी का भुगतान किया जायेगा चाहे दिनांक 5.4.2021 को वाहन 405 कि.मी. उपयोग लिया गया तथा दिनांक 6.4.2021 को 170 कि.मी. का उपयोग किया गया हो। (प्रतिदिन 300 कि.मी. के अनुसार)
- 6. कि.मी. की गणना यात्रा पर रवाना होने के स्थान यथा अधिकारी के निवास/कार्यालय से मानी जावेगी। जिसका इन्द्राज लोग बुक में करके वह अधिकारी के हस्ताक्षर कर बिल के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करनी होगी।
- वाहन की लोग बुक फर्म द्वारा वाहन चालक को उपलब्ध करवानी होगी। लोग बुक का प्रारूप विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायगा।
- 8. वाहन यात्रा के दौरान बीच रास्ते में खराब होने की अवस्था में फर्म द्वारा दुसरा वाहन उपलब्ध करवाना होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी और दूसरा वाहन का किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
- 9. भुगतान हेतु PAN No. बिल की दो प्रतियाँ मय वाहन का पंजीयन, बीमा व लोग बुक की प्रति लगाकर प्रस्तुत करना होगा एसा न करने पर बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 10. टोल टैक्स एवं पार्किंग शुल्क का पुनभरण विश्वविद्यालय के द्वारा किया जावेगा । इस हेतु टोल टैक्स एवं पार्किंग शुल्क की रसीद बिल के साथ संलग्न करनी पडेगी। यात्रा पर जाने वाले अधिकारी को टोल टैक्स एवं पार्किंग शुल्क का भृगतान नहीं करना होगा।
- 11. निविदादाता को धरोहर राशि 30,000 / रू मय डी.डी. या बैंकर चैक द्वारा जमा करना होगा जो कि पूल अधिकारी, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के नाम से होगी।
- 12. निविदादाता को पूर्ण कार्यकाल के लिये जो दरें स्वीकृत की गई है उसी के अनुसार भुगतान किया जायेगा ईधंन के मूल्य में वृद्धि होने के कारण दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी।
- 13. निविदादाता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा और जो भी भुगतान किया जायेगा वह आयकर की कटौती करने के बाद चैक द्वारा किया जायेगा।
- टेण्डर फार्म में किसी भी प्रकार की किटंग व अधूरा मान्य नहीं होगी।
- 15. बीकानेर में स्थानीय कार्य हेतु वाहन लेने पर 100 कि.मी. से अधिक चलने पर 100 कि.मी. की एक मुश्त राशि के अतिरिक्त पति कि.मी. की राशि देय होगी।
- 16. प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार है कि निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर सकते है और निविदादाता द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर उसे पाबंद करने हेत् भी अधिकृत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील